

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

Non-Encumbrance Certificate issued to Rajarajm Construction Co. Pvt. Ltd.
 vide No. R.P.L/25/2025-26 dt. 09.06.2025, आवेदन पत्र संख्या 1630/2025
 625/2025 बूकि श्री Kamdhani Mahata Adv. firm vs Rajarajm Construction Co. Pvt. Ltd.
 जूमे पास

किया है कि निम्नलिखित सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय ।
 (आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता 01.01.2010

से ता 09.06.2025 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ

- (क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-
- (ख) बंधक की दषा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । बर्षों कि इसके बारे में उल्लेख हो
- (ग) पट्टे की दषा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

में यह शी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छांड कर उक्त संपत्ति का प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवशरों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाषी की प्रमाण पत्र तैयार किया।

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित कर्मचारियों,
संख्या - 10/06/2025 को 09.06.2025

हस्ताक्षर
10/06/25

पदनाम -
10/06/25

131	रकबा की	728	2307	6.89	₹.
33	-	728	-	6.89	₹.
33	-	728	-	6.89	₹.
33	-	728	-	9.18	₹.
33	-	728	-	4.59	₹.
33	-	728	-	4.59	₹.
33	-	728	-	3.43	₹.

तलाषी का सत्यापन ऋणशर प्रमाण पत्र का जाँच निम्न व्यक्तियों की

हस्ताक्षर - 10/06/25

पदनाम -
10/06/25

कार्यालय -
10/06/25

तारीख - 10/06/2025

कुल राशि - 42,47 ₹ का
निबंधन पर्याधिकारी का हस्ताक्षर



टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं। वे अपेक्षित इस संपत्ति प्रकृतियों संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण सही नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो ऐसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेक्शन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायें।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) को प्रविष्टियों देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाषी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाषी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाषी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाषी परिणाम को किसी भूल के लिए भी तब जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाषी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहार और अवभारों को छूट के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभाव पड़ता हो।